11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 502–दो/2003 – विरूद्ध आंदेश दिनांक 26–10–2003 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 1053/1996–97 अ–19 निगरानी

गोकुल पुत्र पहाड़ सिंह ग्राम भेंसवाही
तहसील गुनौर जिला पन्ना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदक के पेनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 –2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 1053/1996–97 अ–19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–10–2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक को तहसीलदार

गुनौर ने प्रकरण क्रमांक 33/1992-93 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 29-9-1993 से कृषि कार्य हेतु भूमि का पटटा जारी किया। अनुविभागीय अधिकारी पन्ना ने तहसीलदार के प्रकरण. के परीक्षण पर पाया कि तहसीलदार व्दारा पटटा प्रदान करने में अनियमिततायें की है, जिस पर से कलेक्टर पन्ना को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर पन्ना ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध करके कारण बताओ नोटिस जारी किया। कलेक्टर न्यायालय में निगरानी प्रचलन के दौरान निगरानी श्रवण करने की शक्तियॉ कलेक्टर से समाप्त कर दी गई, जिसके कारण कलेक्टर का प्रकरण आयुक्त, सागर संभाग, सागर की ओर निराकरण हेतु अग्रेषित हुआ। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 1053/अ-19/196-97 निगरानी पंजीबद्ध किया तथा आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 26-10-2002 पारित किया एंव तहसीलदार गुनौर के प्रकरण क्रमांक 33/1992-93 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 29-9-1993 को निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार गुनौर के प्रकरण क्रमांक 33/1992-93 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 29-9-1993 से आवेदक को दिये गये पटटे की भूमि शासकीय अभिलेख (खसरे) में काविलकास्त दर्ज नहीं थी , अपितु चरागाह (पशु के चरने हेतु सुरक्षित) दर्ज थी, किन्तु हलका पटवारी

ने आवेदक को लाभ पहुंचाने की गरज से भूमि चरागाह के स्थान पर बन्जर दर्ज कर दी, जबकि कलेक्टर की अनुमति के बिना एंव संहिता की धारा 234 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कार्यवाही किये बिना पटवारी को भूमि की नोईयत बदलने की अधिकारिता नहीं थी। वैसे भी चरनोई हेतु सुरक्षित भूमि का मद परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि दिनों-दिन चरनोई का रकबा घटता जा रहा है जिसके कारण ग्रामीणों को मवेशियों के चरागाह की अड़चने पैदा हो गई हैं, जिनका ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार गुनौर ने प्रकरण कमांक 33/1992-93 अ-19 में आदेश दिनांक 29-9-1993 पारित करने के पूर्व वास्तविकता की जांच नहीं की है एंव चरागाह की भूमि को पटवारी व्दारा स्वस्तर से बन्जर लिख के आधार पर आवेदक के हित में भूमि बन्टित करने की त्रृटि की है जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 1053/1996-97 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-10-2003 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 1053/1996-97 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-10-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर